

आयुक्तालय कॉलेज शिक्षा राजस्थान जयपुर

क्रमांक-एफ 23(80)/लेखा/आकाशि/छा.ऑनलाईन/2023-24/7707

दिनांक- 01.11.2023

समस्त प्राचार्य/जिला नोडल अधिकारी,
राजकीय महाविद्यालय/वित्तपोषित विश्वविद्यालय,
वित्तपोषित महाविद्यालय/निजी महाविद्यालय/विश्वविद्यालय,
राजस्थान।

विषय:-वित्तीय वर्ष 2023-24 में कालीबाई भील मेधावी छात्रा स्कूटी योजना, देवनारायण छात्रा स्कूटी एवं प्रोत्साहन राशि योजना में ऑनलाईन आवेदन हेतु तिथि में अभिवृद्धि बाबत।

संदर्भ:-विभाग द्वारा प्रसारित विज्ञप्ति क्रमांक-6611 दिनांक-30.06.2023, 6849 दिनांक-31.07.2023, 6932 दिनांक-08.08.2023 एवं 7441 दिनांक-03.10.2023

उपर्युक्त विषयान्तर्गत वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए निम्नलिखित योजनाओं में ऑनलाईन आवेदन हेतु पोर्टल पुनः दिनांक-04.10.2023 से खोला जाकर अंतिम तिथि 31.10.2023 रखी गई जिसमें निम्नानुसार दिनांक-16.11.2023 तक अभिवृद्धि की जाती है -

क्र. स.	योजना का नाम	वर्ष	पोर्टल प्रारम्भ तिथि	पोर्टल बन्द की अंतिम तिथि
1.	कालीबाई भील मेधावी छात्रा स्कूटी योजना :-			
	1. अनुसूचित जनजाति (ST) वर्ग की 12वीं उत्तीर्ण छात्राओं हेतु (उच्च शिक्षा विभाग)	2023-24	04.10.2023	16.11.2023
	2. अनुसूचित जनजाति (ST) की 10वीं उत्तीर्ण छात्राओं हेतु (उच्च शिक्षा विभाग)	2023-24	04.10.2023	16.11.2023
	3. विमुक्त, घुमन्तु एवं अर्द्धघुमन्तु समुदाय की 12वीं उत्तीर्ण छात्राओं हेतु (सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग)	2023-24	04.10.2023	16.11.2023

योजना से संबंधित नियम, दिशा-निर्देश विभागीय वेबसाइट <https://hte.rajasthan.gov.in/> के Home Page पर Online Scholarship पर उपलब्ध है। आवेदन पत्र भरने से पूर्व संबंधित छात्रा/अभिभावक योजनाओं से संबंधित दिशा-निर्देश, परिपत्र क्रमांक-955 दिनांक-30.12.2021, नियम एवं संलग्न किये जाने वाले दस्तावेजों की भली भाँति अध्ययन कर ही आवेदन करें। आवेदन करने हेतु विद्यार्थी के पास जन आधार कार्ड होना आवश्यक है एवं उसमें भरी हुई सूचनाएँ यथा जाति, मूल-निवास, बैंक डिटेल्स आदि अपडेट होनी चाहिए।

ऑनलाईन आवेदन विभाग की वेबसाइट <https://hte.rajasthan.gov.in/> द्वारा एसएसओ आईडी से login कर Citizen App-G2C के "Scholarship (CE,TAD,Minority)" Icon पर क्लिक कर किया जा सकता है।

Signature valid

RajKaj Ref
4995993

Digitally signed by Sunil Sharma
Designation : Commissioner
Date: 2023.10.31 12:13 IST
Reason: Approver

जिन विद्यार्थियों को उनके विश्वविद्यालय/महाविद्यालय छात्रवृत्ति पोर्टल पर प्रदर्शित नहीं हो रहे हैं। वे अपने विश्वविद्यालय/महाविद्यालय के रजिस्ट्रार/प्राचार्य से सम्पर्क कर रजिस्ट्रेशन एवं अपडेशन की कार्यवाही करावें।

जिन विश्वविद्यालयों/महाविद्यालयों द्वारा अभी तक पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन एवं अपडेशन नहीं किया है, वे शीघ्र उक्त कार्यवाही करें। इसके अभाव में विश्वविद्यालयों/महाविद्यालयों में अध्ययनरत विद्यार्थी ऑनलाइन आवेदन नहीं कर सकेंगे। जिसकी समस्त जिम्मेदारी संबंधित विश्वविद्यालय/महाविद्यालय की होगी।

आयुक्त
कॉलेज शिक्षा राजस्थान, जयपुर

क्रमांक-एफ 23(80)/लेखा/आकाशि/छा.ऑनलाईन/2023-24/ 7708-12
प्रतिलिपि:-निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है-

दिनांक- 01.11.2023

1. आयुक्त, जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग, उदयपुर, राजस्थान।
2. निदेशक, माध्यमिक शिक्षा विभाग, बीकानेर, राजस्थान।
3. निदेशक, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, जयपुर, राजस्थान।
4. निदेशक, अल्पसंख्यक मामलात विभाग, जयपुर, राजस्थान।
5. प्रभारी वेबसाइट, को विभागीय वेबसाइट पर अपलोड हेतु।

आयुक्त
कॉलेज शिक्षा राजस्थान, जयपुर

Signature valid

RajKaj Ref
4995993

Digitally signed by Sunil Sharma
Designation: Commissioner
Date: 2023.10.31 17:12:13 IST
Reason: Approved